

2303
23/04/24

Court Notice by bank:	23.04.2024
Spot Notice by bank:	02.05.2024
Date of inspection:	22.05.2024
Date of submission of ID's and EMD	28.05.2024
E-Auction:	03.06.2024
Report Date:	11.06.2024

फार्म संख्या 13

(आयकर अधिनियम 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 38, 52(2) के अन्तर्गत)

आर0सी0 संख्या: 298/2019

आगामी तिथि: 11.06.2024

प्रकरण का उन्वान:

एच.डी.एफ.सी. बैंक लिमिटेड बनाम रानिशा सिंथेटिक्स

विक्रय की उद्घोषणा

कार्यालय वसूली अधिकारी

ऋण वसूली अधिकरण, पहली मंजिल, सुधरमा-2, लाल कोठी शॉपिंग सेन्टर, किसान भवन के सामने, जयपुर (राजस्थान)
(न्यायालय क्षेत्राधिकार राजस्थान राज्य)

यह कि माननीय पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण, जयपुर ने 2,02,85,730.00 रुपये (अक्षरे दो करोड़ दो लाख पचयासी हजार सात सौ तीस मात्र) एवं ब्याज हर्जा, शुल्क इत्यादि के निर्णित ऋणीगण से वसूली हेतु ओ. ए. नंबर 327/2018 दिनांकित 09.05.2019 में वसूली प्रमाण पत्र संख्या 298/2019 जारी किया गया है।

एवं यह कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने बंधक सम्पत्ति को जैसा कि संलग्न अनुसूची में उल्लिखित है उक्त प्रमाण पत्र की संतुष्टि के लिए विक्रय का आदेश पारित किया है।

एवं यह कि प्रमाण पत्र के अनुसार दिनांक 13.06.2019 तक ब्याज एवं खर्च सहित कुल 2,29,72,879.00 रुपये (अक्षरे दो करोड़ उनतीस लाख बहतर हजार आठ सौ उनयासी मात्र) एवं भविष्य का ब्याज बकाया होते हैं।

एतद्वारा यह सूचित किया जाता है कि किसी भी स्थगन आदेश की अनुपस्थिति में उक्त सम्पत्ति प्रमाणपत्रधारी बैंक द्वारा सार्वजनिक ई-नीलामी द्वारा दिनांक 03.06.2024 को प्रातः 11.00 बजे से 03.00 बजे तक **E-auction platform at website-<https://www.bankeauctions.com> of M/s C1 India Pvt. Ltd., 3rd Floor, Plot No. 68, Sector 44, Gurgaon, 122003, Haryana** पर विक्रय की जायेगी। उक्त वेबसाइट से सम्बन्धित अन्य किसी जानकारी के लिए मि. भाविक पाण्ड्या (मोबाईल नम्बर 8866682937, +91 7291891124/25/26) से संपर्क करना होगा।

अन्य जानकारी के लिए बैंक अधिकारी श्री कैलाश शर्मा (मोबाईल नम्बर 9214089244) से सम्पर्क करना होगा।

यह कि उपरोक्त व्यक्तिकमी की सम्पत्ति का विक्रय जिसका नाम नीचे दी गई अनुसूची में दिया गया है, का होगा एवं उक्त सम्पत्ति पर दायित्व एवं क्लेम जो अभिनिश्चित किए गए हैं, वो प्रत्येक लॉट के सामने अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। सम्पत्ति "जैसी है, जहां है एवं जैसी स्थिति में है" के आधार पर विक्रय की जायेगी।

सम्पत्ति का विक्रय अनुसूची में दिये गये लॉट के अनुसार किया जायेगा सम्पत्ति के संदर्भ में विक्रय तुरंत रोक दिया जावेगा यदि किसी भी लॉट का विक्रय शुरू करने से पूर्व उक्त प्रमाण पत्र में वर्णित बकाया ब्याज लागत (विक्रय की लागत सहित) विक्रय निष्पादित करने वाले अधिकारी को सौंपी जाती है या उसकी संतुष्टि हेतु प्रमाण पत्र दिया जाता है कि उक्त प्रमाण पत्र की राशि

वसूली अधिकारी-III
ऋण वसूली अधिकरण
जयपुर

ब्याज व लागतों का भुगतान अद्योहस्ताक्षरकर्ता को कर दिया गया है तो विक्रय रोक दिया जावेगा।

विक्रय में सामान्यतया आम जनता को स्वयं अथवा उसके किसी प्राधिकृत अभिकर्ता को आमंत्रित किया जाता है। कोई भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो इस विक्रय के संबंध में अपना कर्तव्य निर्वहन कर रहा है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, किसी भी रूप में इस संपत्ति के विक्रय में, बोली में अथवा अधिग्रहण में या अधिग्रहण के प्रयास में हिस्सा नहीं लेगा।

यह विक्रय आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची में वर्णित शर्तों एवं इसके अंतर्गत बनाये गये नियमों एवं निम्नलिखित अन्य शर्तों की अधीन होगा—

1. संलग्न सूची में विनिर्दिष्ट ब्यौरा अद्योहस्ताक्षरकर्ता की श्रेष्ठ जानकारी के अनुसार लिखे गये हैं। लेकिन अद्योहस्ताक्षरकर्ता इस उद्घोषणा के किसी भी गलत कथन, त्रुटि एवं चूक के लिये जवाब देह नहीं होगा।
2. सम्पत्ति का आरक्षित मूल्य रुपये 49.35 लाख होगा जिससे कम में सम्पत्ति विक्रय नहीं की जावेगी।
3. सम्पत्ति की बोली बढ़ाने की राशि कमशः 25,000 के गुणांक में होगी।
4. बोलीदाता को धरोहर राशि के रूप में आरक्षित मूल्य की 10 प्रतिशत राशि का वसूली अधिकारी के पक्ष में देय जरिये आर.टी.जी.एस अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट जमा कराना होगा जिसका Account No. 50200074019804, Name of the Bank: HDFC Bank Ltd., Sodala, Jaipur, IFSC Code: HDFC0001843 है एवं पेन कार्ड की प्रमाणित प्रतिलिपि, पते का सबूत एवं प्राधिकार पत्र, यदि वे किसी अन्य व्यक्ति अथवा संस्था की ओर से नीलामी में भाग ले रहे हैं, प्रस्तुत करने होंगे।
5. अगर उच्चतम बोलीदाता विधिक रूप से बोली लगाने के योग्य है एवं उसके द्वारा लगायी गयी बोली आरक्षित दर से कम नहीं है तो उसे क्रेता घोषित कर दिया जायेगा। अद्योहस्ताक्षरकर्ता को जब ऐसा लगता है कि मूल्य स्पष्ट रूप से सभी खर्चों की क्षतिपूर्ति के लिए अपर्याप्त है तो उच्चतम बोली को स्वीकार या अस्वीकार करना उसके विवेकाधीन होगा।
6. लिखित कारणों से विक्रय करने वाले अधिकारी को आयकर अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के प्रावधानों के अधीन विक्रय को स्थगित करने का अधिकार होगा।
7. चल सम्पत्ति के मामले में वह व्यक्ति जिसे क्रेता घोषित किया गया है, ऐसी घोषणा होने के तुरंत बाद उसकी बोली की संपूर्ण राशि उस अधिकारी के पास जो विक्रय का संचालन कर रहा है, जमा करानी होगी और उक्त राशि जमा कराने में व्यतिक्रम करने पर उक्त सम्पत्ति पुनः विक्रय के लिए रखकर विक्रय की जावेगी।
8. अचल सम्पत्ति के मामले में वह व्यक्ति जिसे क्रेता घोषित किया गया है, ऐसी घोषणा होने के तुरंत बाद उसकी बोली की 25 प्रतिशत राशि धरोहर राशि को समायोजित करते हुये वसूली अधिकारी के पास जो विक्रय का संचालन कर रहा है, के पक्ष में जरिये आर. टी.जी.एस. अथवा देय डिमाण्ड ड्राफ्ट जमा कराना होगा जिसका Account No. 50200074019804, Name of the Bank: HDFC Bank Ltd., Sodala, Jaipur, IFSC Code: HDFC0001843 है और उक्त राशि जमा कराने के व्यतिक्रम करने पर उक्त सम्पत्ति पुनः विक्रय के लिए रखकर विक्रय की जावेगी एवं नीलामी की शेष 75 प्रतिशत राशि नीलामी तिथि से 15 दिवस के भीतर क्रेता द्वारा वसूली अधिकारी के पक्ष में जरिये आर.टी.जी.एस. अथवा देय डिमाण्ड ड्राफ्ट जमा कराना होगा जिसका Account No. 50200074019804, Name of the Bank: HDFC Bank Ltd., Sodala, Jaipur, IFSC Code: HDFC0001843 है जिसमें नीलामी का दिन या 15वां दिन सम्मिलित नहीं होगा। उपरोक्त समयावधि में भुगतान ना होने पर, उक्त सम्पत्ति का पुनः विक्रय नई उद्घोषणा जारी करके किया जायेगा। उस स्थिति में व्यतिक्रम के द्वारा जमा राशि को अद्योहस्ताक्षरकर्ता यदि उचित समझता हो तो विक्रय के खर्च समायोजित किए जाने के

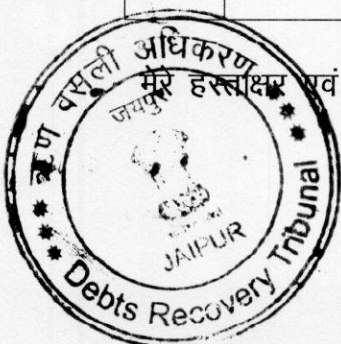
वसूली अधिकारी-II
अध्यक्ष वसूली अधिकरण
जयपुर

पश्चात् जप्त सरकार कर ली जावेगी एवं उस स्थिति में केता के उक्त सम्पत्ति के संबंध में या राशि के किसी भाग के संबंध में प्राप्त समस्त अधिकार जब्त हो जायेंगे सफल बोलीदाता को प्रथम एक हजार रुपये पर 02 प्रतिशत एवं उसके बाद शेष राशि पर 01 प्रतिशत की दर से पाउण्डेज फीस का भुगतान करना होगा।

9. प्रमाणपत्रधारी बैंक के द्वारा इच्छुक बोलीदाता को सम्पत्ति के निरीक्षण की अनुमति दी जावेगी जिसके लिए इच्छुक बोलीदाता मौके पर संपत्ति का निरीक्षण कर सकते हैं। नोडल ऑफिसर इच्छुक बोलीदाता को सुबह 10:00 बजे से सायं 4:00 बजे तक सम्पत्ति का निरीक्षण करवाएंगे।
10. यदि इच्छुक बोलीदाता इन्टरनेट के जरिये बोली न लगा सकते हैं तो वे नोडल अधिकारी/सेवाप्रदाता के माध्यम से नीलामी में भाग ले सकते हैं।
11. प्रस्तावित बोलीदाता सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (सम्पर्क व्यक्ति श्री भाविक पाण्ड्या मोबाईल नम्बर 8866682937, 7291891124/25/26), तीसरी मंजिल, प्लॉट नम्बर 68, सेक्टर 44, गुड़गांव 122003, हरियाणा नीलामी की वेबसाइट www.bankeauctions.com (फोन नम्बर 8866682937) के ऑनलाईन प्रशिक्षण का लाभ उठा सकते हैं।
12. अमानत राशि जमा कराये जाने एवं पंजीयन की अन्तिम तिथि 28/05/24 को 3 बजे सायं तक है।
13. ऑनलाईन नीलामी सेवाप्रदाता सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (सम्पर्क व्यक्ति श्री भाविक पाण्ड्या मोबाईल नम्बर 8866682937, 7291891124/25/26), तीसरी मंजिल, प्लॉट नम्बर 68, सेक्टर 44, गुड़गांव 122003, हरियाणा के द्वारा दिनांक 03.06.2024 को प्रातः 11 बजे से सायं 3 बजे तक सम्पादित की जावेगी। यदि नीलामी की राशि 3 बजे के उपरान्त 10 मिनट के पश्चात् भी नहीं बढ़ाई जाती है तो नीलामी को स्वीकार कर दिया जाएगा किन्तु यदि बोली पुनः बढ़ाई जाती है तो नीलामी को 10 मिनट और बढ़ा दिया जाएगा।
14. धरोहर राशि का भुगतान असफल बोलीदाताओं को HDFC बैंक के द्वारा किया जायेगा।

सम्पत्ति का विवरण :

प्लॉट की संख्या	अन्य सह मालिकों का नाम सहित बेची जाने वाली सम्पत्ति का विवरण जहाँ सम्बन्धित व्यक्तिकमी जो किसी अन्य व्यक्ति से सह-मालिक है	सम्पत्ति या उसके किसी भाग पर राजस्व जिसका मूल्यांकन किया गया है।	किसी भी प्रकार के भार का विवरण जिसके लिए सम्पत्ति उत्तरदायी है	विवाद अगर कोई है जो कि सम्पत्ति के संबंध में आगे आया है एवं अन्य कोई ज्ञात विशिष्टियों जो कि इसके मूल्य एवं प्रकृति प्रभाव रखता है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	"Residential Patta No. 12, Ward No. 19, Shivdan Ji ka Mohalla, Pachpadra, Balotra, District Barmer."	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं



एवं सील द्वारा दिनांक 22/04/2024 को जारी किया गया।

ऋण वसूली अधिकारी
 ऋण वसूली अधिकरण,
 ऋण वसूली अधिकारी-II
 जयपुर